50680
C-5

300
copy

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 11th January, 2013]

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 जनवरी, 2013

संख्या 13/4/96-2HC.—पंजाब विधि अधिनियम, 1872 (1872 के अधिनियम 4) की धारा 39-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा ग्राम चौकीदार और नगरपालिका पहरेदार की प्रणाली स्थापित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

अल्प शीर्षक

(1) इन नियमों को हरियाणा चौकीदार विनियम, 2011 कहा जा सकता है।

परिभाषाएं

(2) इन नियमों में जब तक, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) अधिनियम से अभिप्राय है कि पंजाब कानून अधिनियम, 1872.

(ख) बीट से अभिप्राय है निर्धारित क्षेत्र, जिसमें एक चौकीदार निगरानी रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) आयुक्त से अभिप्राय है मण्डलायुक्त।

(घ) उपायुक्त से अभिप्राय है जिला का उपायुक्त और इन नियमों के तहत उपायुक्त का कार्य करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी, जो सहायक कलेक्टर के रैंक से नीचे का न हो, शामिल है।

(ङ) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद से अभिप्राय है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम-II) में परिभाषित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।

(च) सरकार से अभिप्राय है कि गृह विभाग में हरियाणा राज्य सरकार।

(छ) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) से अभिप्राय है उप मण्डल का उप मण्डल अधिकारी (नागरिक)।

(ज) गांव से अभिप्राय है जिला के राजस्व रिकार्ड में दर्ज एक राजस्व सम्पदा, जिसमें यह स्थित है या एक गांव जिसे सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

नियुक्ति के लिए मानदण्ड

(3) गांव चौकीदार की प्रथम नियुक्ति पर विचार करते हुए निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड होंगे।

(क) वह 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए।

(ख) वह सरकारी स्कूल या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से आठवीं पास होना चाहिए।

(ग) शारीरिक रूप से योग्य, अच्छे नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए।

गांव चौकीदार की नियुक्ति की प्रक्रिया

(4) (1) उपायुक्त पात्र व्यक्तियों से गांव में मुनादी करवाने के उपरांत आवेदन पत्र आमंत्रित करके गांव के पात्र व्यक्तियों से एक गांव चौकीदार का चयन किया जाएगा और नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से एक पूर्ववृत रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी।

(2) चौकीदार की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी। नई नियुक्ति करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। जिस व्यक्ति ने गांव के चौकीदार के रूप में सेवा की है, वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

गांव चौकीदार की संख्या

(5) इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा सम्बन्धित पंचायत प्रस्ताव प्राप्त करने के उपरांत गांव में प्रत्येक बीट के लिए या गांव के लिए या एक या अधिक गांव के लिए चौकीदार की नियुक्ति की जाएगी।

गांव चौकीदार के पदों की संख्या निम्नानुसार नियत की जाएगी :--

क. एक हजार से अधिक मकानों वाले गांव या जहां पर एकमात्र ग्राम पंचायत विद्यमान हो, के लिए एक पद, और

ख. एक हजार से अधिक मकानों वाले गांव के लिए एक अतिरिक्त पद और जहां पर एक से अधिक पंचायत स्थापित की गई हों, में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक पद बशर्ते बीट या गांव के लिए पदों की संख्या मण्डलायुक्त की अनुमति से उपायुक्त द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

मुख्य गांव चौकीदार की नियुक्ति

(6) जहां पर किसी गांव में गांव चौकीदार की संख्या दो से अधिक है, उनमें से एक जो आयु में वरिष्ठ है को मुख्य गांव चौकीदार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उसे दफादार के रूप में पदनामित किया जाएगा।

गांव चौकीदार की पदच्युति या हटाया जाना

(7) उपायुक्त किसी भी गांव के चौकीदार या दफादार को पदच्युत कर सकता है। यदि वह

(क) किसी भी सिद्ध कदाचार या ड्यूटी में कोताही या अपना कार्य करने में शारीरिक रूप में अनुपयुक्त होता है।

(ख) उसके विरुद्ध संस्थापित अपराधिक प्रक्रिया दर्शाती हो कि वह अब अपने पद का कार्य करने में अयोग्य है। बशर्ते कि पदच्युति के आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई के लिए एक उचित अवसर दिया जाएगा।

पद से त्याग पत्र वापस लेना

(8) (i) गांव चौकीदार किसी भी समय अपनी ड्यूटी से त्याग पत्र दे सकता है।

(ii) कोई भी गांव चौकीदारी या दफादार तब तक अपने पद की ड्यूटी से नहीं हटेगा, जब तक :--

(क) उसे उपायुक्त से त्याग पत्र देने की अनुमति प्राप्त होती है; या

(ख) उपायुक्त को अपना त्याग पत्र के इरादे की सूचना देने को दो मास की अवधि न बीत जाने पर।

गांव चौकीदार के कर्त्तव्य

(9) गांव चौकीदार द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :

(I) गांव चौकीदार अपने अधिकार क्षेत्र में गांव में सरकारी सम्पति या अन्य सम्पति के नुकसान के बारे में जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत और समुदाय के सम्बन्धित अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

(II) वह दिन प्रतिदिन के कार्य में ग्राम पंचायत की सहायता करेगा।

(III) वह पुलिस, ग्राम पंचायत और पटवारी की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(IV) वह अपराध की रोकथाम और पता लगाने तथा अपराधियों की आशंका से संबंधित सभी मामलों में अपनी जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत और पुलिस की सहायता करेगा।

(V) वह अपनी बीट/गांव क्षेत्र में निगरानी रखेगा।

(VI) वह बदनाम चरित्र वाले व्यक्ति या सेंध मार वाले या संदेहास्पद चरित्र वाले व्यक्ति की गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट करेगा।

(VII) वह ग्राम पंचायत, क्षेत्र का प्रभारी, पुलिस अधिकारी को सभी विवादों की जानकारी देगा, जिनसे किसी भी तरह का दंगा या झगड़ा-फसाद होने की आशंका हो और उसके गांव में या उसके गांव के निकट लोगों की शांति भंग करने वाली सभी खबरों की जानकारी ग्राम पंचायत/पुलिस अधिकारी को देगा।

(VIII) वह तुरंत ग्राम पंचायत, पुलिस या ऐसे किसी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे उपायुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो। कोई भी सूचना, जिसे वह अपने गांव या बीट में निम्नलिखित अपराधों में से किसी के भी होने या होने की संभावना के सम्बन्ध में प्राप्त करे; अर्थात्:--

(क) दंगे

(ख) शव का गुप्त दाह संस्कार या जन्म को छुपाना

(ग) गर्भपात का कारण

(घ) बलात्कार या बलात्कार का प्रयास

(ङ) औरतों के विरुद्ध अन्य कोई अपराध करना या उनके प्रति अपराध करने का प्रयास करना

(च) बच्चे की अनावृति

(छ) आग से नुकसान पहुंचाना

(ज) जहर से पशुओं को नुकसान पहुंचना

(झ) उपरोक्त किसी भी प्रकार के अपराध करने के लिए उकसाने या करने का प्रयास करना

(ञ) सदोष मानव हत्या करने का प्रयास

(ट) पी०एन०डी०टी० अधिनियम, 1994 (1994 का 57) के तहत अपराध

(ठ) बाल शोषण और

(ड) बंधुआ मजदूर

(ढ) बिना ढके और असुरक्षित गहरी खुदाई, बोरवैल, खतरनाक निर्माण या विध्वंसक गतिविधि;

(IX) वह अपने गांव या बीट में लोगों या पशुओं में किसी महामारी रोग के आभास के बारे में संबंधित ग्राम पंचायत/संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करेगा;

(X) वह ऐसे व्यक्ति के बारे में सम्बद्ध प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसके विरुद्ध किसी ऐसे अपराध में शामिल होने पर उसकी उचित शिकायत की गई हो या उचित संदिग्ध हो;

(XI) वह ऐसे व्यक्ति के बारे में सम्बद्ध प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसके पास सम्पत्ति पाई गई है, जो यथोचित रूप से चुराई गई सम्पति के रूप में संदिग्ध हो सकती है;

(XII) वह ऐसे व्यक्ति के बारे में सम्बन्धित अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जो सशस्त्र बलों या अर्द्ध सैनिक बलों से भगोड़ा होने का संदिग्ध हो;

(XIII) वह कोई अन्य सूचना, जिसे वह जिला प्रशासन/ग्राम पंचायत/पुलिस अधिकारी या राजस्व अधिकारी को दिया जाना उचित समझता हो, की रिपोर्ट देगा।

गिरफ्तारी की शक्ति

(10) (1) प्रत्येक गांव चौकीदार के पास मैजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और बिना वारन्ट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करवाने की शक्ति है, जो :--

(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की 2) में यथापरिभाषित अजगानतीय संज्ञेय अपराध करने में उसकी उपस्थिति; तथा

(ख) जो दण्ड प्रक्रिया संहिता या पुलिस राजपत्र अधिसूचना में उदघोषित अपराधी हो।

2. यदि कोई व्यक्ति बल पूर्वक उसको गिरफ्तार करने के प्रयास का विरोध करता है तो प्रत्येक गांव चौकीदार गिरफ्तारी के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सकता है।

3. गांव चौकीदार द्वारा यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है तो उसे गिरफ्तार करने के लिए और अधिक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता होगी।

4. गांव चौकीदार अनावश्यक विलंब के बिना इस प्रकार गिरफ्तार किसी व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी को हस्तांतरित करेगा या हस्तांतरित करवाएगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को पकड़ेगा या निकटतम थाने की अभिरक्षा में उसे पकड़वाएगा, परन्तु अंधेरे के समय गिरफ्तार किये गए व्यक्ति या व्यक्तियों को गांव में ही हिरासत में रख सकता है, किन्तु सुबह ही यथासंभव पुलिस थाने में ले जाएगा।

5. गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग लागू कानूनों के प्रावधानों के तहत होगा।

वैकल्पिक नियुक्ति

(11) परिस्थितियों के दृष्टिगत उपायुक्त द्वारा एक विकल्प के रूप में गांव के हैडमैन द्वारा गांव चौकीदार को कार्य करने के आदेश दिये जा सकते हैं।

मानदेय की अदायगी

(12) (1) प्रत्येक गांव चौकीदार को समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचना अनुसार प्रतिमास मानदेय मिलेगा।

(2) गांव चौकीदार को 1500 रुपये का वार्षिक वर्दी भत्ता और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्णित और अधिसूचना अनुसार लाठी, बैटरी और सीटी के लिए वार्षिक भत्ता दिया जाएगा।

(3) उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि गांव चौकीदार को मानदेय की अदायगी ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम पंचायत के दो पंचों की उपस्थिति में प्रत्येक मास की सात तारीख को की गई है। सरपंच तदानुसार संबंधित सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट को गांव चौकीदार के हस्ताक्षर/अंगुठा निशान के साथ महीने की 10 तारीख तक रिपोर्ट भेजेगा। मानदेय और वर्दी भत्ता की अदायगी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस कार्य के लिए सरकार द्वारा दिये गये कोष से गांव चौकीदार को की जाएगी।

स्थानांतरण

(13) कोई भी गांव चौकीदार एक गांव या बीट से दूसरे गांव या बीट में स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

निरसन और व्यावृत्ति

(14) पूर्व पंजाब सरकार द्वारा प्रकाशित पंजाब चौकीदार विनियम, जैसाकि हरियाणा राज्य के लिए लागू हैं, को निरस्त किया गया है और ये नियम प्रदेश में लागू सभी पिछले विनियमों का स्थान लेंगे।

समीर माथुर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

दिनांक : 9 जनवरी, 2013.

Duties of Village Watchman.

9. The following duties will be performed by the Village Watchman:

(i) He shall report to the concerned authority about loss of the Government property or other property in the village to District Administration, Gram Panchayat and Community, within his jurisdiction,

(ii) He shall assist the Gram Panchayat in day to day functioning,

(iii) He shall be bound to obey the Police, Gram Panchayat and Patwari,

(iv) He shall assist the Gram Panchayat and the police to the best of his ability in all matters connected with the prevention and detection of crime and the apprehension of offenders,

(v) He shall keep watch and ward in his beat/village area,

(vi) He shall report about the movements of person who is of notorious character or house breaker or of suspicious character,

(vii) He shall keep the Gram Panchayat/ Police Officer Incharge of the area informed of all disputes which are likely to lead to any tension, riot or serious affray and of all intelligence he receives affecting the public peace within or near his village or beat,

(viii) He shall report to Gram Panchayat at once to the Police or to such any other officer as may be specified by the Deputy Commissioner. Any information which he may obtain with respect to the commission of, or intention to commit any of the following offences or occurrences of any accident or safety hazard in his village or beat, that is to say—

(a) rioting,

(b) concealment of birth by secret disposal of dead body,

(c) causing of miscarriage,

(d) Rape or attempt to rape,

(e) Any other crime against women or attempt to commit crime against women.

(f) exposure of a child,

(g) mischief by fire,

(h) mischief to animals by poisoning,

(i) attempt to commit or abetment of the commission of any of the above offences,

(g) attempt to commit culpable homicide,

(k) offences under PNDT Act, 1994 (57 of 1994),

(l) child abuse, and

(m) bonded labour,

(n) public hazards like uncovered and unsecured deep excavations, borewells, dangerous construction or demolition activities,

(ix) He shall report to the concerned Gram Panchayat /concerned authorities about the appearance of any epidemic disease among people or animals in his village or beat,

(x) He shall report to the concerned authority about the person against whom a reasonable complaint has been made or a reasonable suspicion exists of his having been involved in any such offence;

(xi) He shall report to the concerned authority about the person found with property in his possession which may reasonably be suspected to be stolen property,

(xii) He shall report to the concerned authority about the person who is suspected of being a deserter from the Armed Forces or Paramilitary Forces,

(xiii) He shall report any other information which he thinks is fit to be supplied to District Administration /Gram Panchayat/Police Officer or Revenue Officer.

Power to arrest.

10. (1) Every Village Watchman, may, without orders from a Magistrate and without a warrant arrest

(a) any person who in the sight of such Watchman commits a cognizable offences as defined in the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974);

(b) any person who has been proclaimed offender either under the Code of Criminal Procedure or in a Police Gazette notification;

(2) If a person forcibly resists an endeavour to arrest him, every Village Watchman may use all means necessary to effect the arrest.

(3) No persons arrested by Village Watchman shall be subject to more restraint than is necessary to prevent his escape.

(4) The Village Watchman shall forthwith send any persons or persons so arrested by him before the officer incharge of the police station within the limits of which his beat is situated:

provided that during the hours of darkness, the person or persons arrested may be detained in custody at the village, but must be taken as early as possible on the following morning to the police station.

(5) The exercise of power to arrest shall be subject to provisions of applicable laws.

Substitute appointment.

11. The Deputy Commissioner for the reasons to be recorded may order that the headman of the village shall exercise the authority and perform the duties of Village Watchman as a substitute.

Payment of honorarium.

12. (1) Every Village Watchman shall receive per month an honorarium in cash as fixed and notified by Government from time to time.

(2) The Village Watchman shall be provided an annual uniform allowance of and an annual allowance for Lathi, battery and whistle as decided and notified by Government time to time.

(3) The Sub Divisional Magistrate shall ensure that the payments of honorarium is made to Village Watchman by the 7th of every month in the presence of Sarpanch of the Gram Panchayat and two Panches. The Sarpanch will submit a report verifying payment to the concerned Sub Divisional Magistrate by 10th day to the month alongwith the signatures of the Village Watchman. The payment of honorarium as well as uniform allowance will be made to the Village Watchman by the authorized official from the funds given by the Government for the purpose.

Transfer.

13. No Village Watchman shall be liable to transfer from one village or beat to other village or beat.

Repeal and Savings.

14. The Punjab Chaukidara rules published by the erstwhile Punjab Government, as applicable to the State of Haryana are hereby repealed and these rules shall supersede all previous rules in force in the State.

SAMIR MATHUR,

The 9th January, 2013.

Additional Chief Secretary to
Government Haryana, Home Department.

50680—C.S.—H.G.P., Chd.

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 11th January, 2013]

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 11th January, 2013

No. 13/4/96-2HC.—In exercise of the powers conferred by Section 39- A of the Punjab Laws Act, 1872 (Punjab Act IV of 1872), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, to establish a system of Village Watchman and Municipal Watchman namely :—

Short title.

1. These rules may be called the Haryana Chowkidara (Watchman) Rules, 2011.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Punjab Laws Act, 1872.

(b) "Beat" means a specified area in which a Watchman shall be responsible for keeping ward and watch.

(c) "Commissioner" means the Commissioner of the Division.

(d) "Deputy Commissioner" means the Deputy Commissioner of a district and includes any officer not below the rank of Assistant Collector appointed by the Government to perform the functions of a Deputy Commissioner under these Rules.

(e) "Gram Panchayat", "Panchayat Samiti" and "Zila Parishad" means the Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad as defined in the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Act II of 1994).

(f) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Home Department.

(g) "Sub Divisional Officer (Civil)" means the Sub Divisional Officer (Civil) of the Sub Division.

(h) "Village" means a revenue estate in the revenue records of a district in which it is situated or a village as may be specified, by notification in the Official Gazette, by the Government.

Eligibility criteria for appointment.

3. While considering the first appointment of the Village Watchman, the eligibility criteria shall be as follows:—

(a) he should not be less than 21 years and not more than 45 years, of age.

(b) he should have passed at least the 8th class from a Government School or Government Recognized School.

(c) he should be physically fit and posses a good moral character.

Procedure for appointment of Village Watchman.

4. (1) The Deputy Commissioner shall select a Village Watchman from eligible persons of the village after due proclamation in the village inviting applications from eligible persons and following due process. A report on antecedents shall be obtained from the Superintendent of Police concerned prior to appointment.

(2) The appointment of Watchman shall be for a period of five years. Prescribed procedure shall be followed for making the fresh appointment. A person who has served as Village Watchman shall be eligible for re-appointment subject to prescribed procedure.

Number of Village Watchman.

5. For each beat in the village or for the entire village or for one or more village a Watchman, shall be appointed by the Deputy Commissioner concerned after receiving the concerned Panchayat resolution in this regard.

The number of posts of Village Watchman shall be fixed as under—

(i) For upto one thousand houses in a village or where there exists a single Gram Panchayat, there shall be one post and for more than one thousand houses in a village one additional post and where more than one Panchayat has been established, one post for each Gram Panchayat:

Provided that the number of posts for a beat or village may be increased by the Deputy Commissioner with the concurrence of the Divisional Commissioner.

Appointment of Head Village Watchman.

6. Where the number of Village Watchman in any village is more than two, the one who is senior in age may be appointed as Head Village Watchman. He will be designated as "Daffadar".

Dismissal or removal of Village Watchman.

7. The Deputy Commissioner may dismiss any Village Watchman or Daffadar if :—

(i) a misconduct or neglect in performance of duties is established or for lack of physical fitness which adversely affected discharge of duties.

(ii) criminal proceedings are instituted against him of a nature that imply that is unfit to be entrusted any longer with the duties of his office:

Provided that before passing any order of dismissal, he shall be given a reasonable opportunity as per principles of natural justice.

Withdrawal of resignation from the post.

8. (1) A Village Watchman at any time, may resign from his duties.

(2) No Village Watchman or Daffadar shall withdraw from the duties of his office after resignation unless-

(i) he has received permission to do so from the Deputy Commissioner ; or

(ii) two months have elapsed since his notice of intention to resign to the Deputy Commissioner.

हरियाणा सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना
दिनांक 18 जुलाई, 2013

संख्या 13/4/1996-2 एच0सी0 हरियाणा चौकीदारा (वाचमैन) अधिनियम 2011 के नियम 12 की धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा ग्रामीण चौकीदारा (वाचमैन) के लिए संशोधित मानदेय, वर्दी भत्ता लाठी भत्ता, बैटरी भत्ता तथा सीटी भत्ता को कालम न0–1 में तथा कालम न0-- 2 में विस्तृत तिथि के अनुसार इस प्रकार निर्धारित करते है:–

क्रमांक	I	II
1.	मानदेय 2000/–रू प्रति मास	1.11.2011 से 31.03.2013 तक
2.	(I) मानदेय 2500/–रू0 प्रति मास (II)वर्दी भत्ता 2000/–रू0 प्रति मास (III)लाठी, बैटरी तथा सीटी भत्ता 750/– रू0 प्रति मास	01.04.2013

समीर माथुर

समीर माथुर
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
गृह विभाग,,

HARYANA GOVERNMENT
HOME DEPARTMENT
Notification

The 18 July, 2013

No. 13/4/1996-2HC in exercise of the powers conferred by sub Rule (1) and (2) of Rule 12 of the Haryana Chowkidara (Watchman) Rules, 2011, the Governor of Haryana hereby amends the Chowkidara rules to revise the rates of honorarium, uniform allowance and allowance for lathi, battery ad whistle payable to village Watchman as specified in column No. I, and from the dates as specified column in No. II

S.No	I		II
1.	Honorarium	Rs. 2000/- per month	w.e.f 01.11.2011 to 31.03.2013
2.	i) Honorarium ii) Uniform Allowance iii) Allowance for Lathi Battery and whistle	Rs. 2500/- per month Rs. 2000/- per annum. Rs. 750/- per annum.	w.e.f 01.04.2013

(Samir Mathur)
Additional Chief Secretary to Government
Haryana, Home Department

HARYANA GOVERNMENT
HOME DEPARTMENT
Notification

The 3rd october, ,2013

No. 13/4/1996-2HC In exercise of the powers conferred by section 39-A of the Punjab Laws Act, 1872 (Act IV of 1872), the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Chowkidara (Watchman) Rules, 2011, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Chowkidara (Watchman) Amendment Rules, 2013.
2. In the Haryana Chowkidara (Watchman) Rules, 2011, in rule 4, for sub rule (2), the following sub rule shall be substituted, namely:-

"(2) The watchman shall hold office till he attains the age of sixty years. Prescribed procedure shall be followed for making the fresh appointment."

(Samir Mathur)
Additional Chief Secretary to Government
Haryana, Home Department

by tomorrow positively.

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 अक्तूबर, 2013

संख्या 13/4/1996–2एच0सी0 पंजाब विधि अधिनियम, 1872 (1872 का अधिनियम 4), की धारा 39क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा चौकीदार नियम, 2011 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा चौकीदार (संशोधन) नियम, 2013 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा चौकीदार नियम, 2011 में, नियम 4 में, उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(2) चौकीदार अपना पद 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक धारण करेगा। नई नियुक्ति करने के लिए निर्धारित प्रकिया का अनुपालन किया जाएगा।"

समीर माथुर

समीर माथुर

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

गृह विभाग,

HARYANA GOVERNMENT
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION

THE 10th DECEMBER, 2013

No. 13/04/1996-2HC- in exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) and (2) of Rule 12 of the Haryana Chowkidara / Watchmen Rules, 2011, the Governor of Haryana hereby amends the Chowkidara rules to revise the rates of honorarium payable to village watchman from Rs. 2500/- to Rs. 3500/- per month w.e.f. 01.01.2014.

(S.C. Choudhary)
Additional Chief Secretary
to Government Haryana, Home Department.

हरियाणा सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना

दिनांक **10.दिसम्बर.2013**

संख्या 13/4/1996-2 एच0सी0 हरियाणा चौकीदारा (वाचमैन) अधिनियम 2011 के नियम 12 की धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा ग्रामीण चौकीदारा (वाचमैन) के लिए संशोधित मानदेय, दिनांक 01.01.2014 से 2500 रू प्रति मास से बढाकर 3500 रू प्रति मास निर्धारित करते है।

एस. सी. चौधरी
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
गृह विभाग,

GOVERNMENT OF HARYANA
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION

The [illegible] July, 2016

No. 13/4/1996-2HC- In exercise of the powers conferred by section 39-A of the Punjab Laws Act, 1872 (Punjab Act IV of 1872), the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Chowkidara (Watchman) Rules, 2013, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Chowkidara (Watchman) Amendment Rules, 2016.

2. In the Haryana Chowkidara (Watchman) Rules, 2013, in rule 4,-
   (i) in sub-rule (2), for the sign, ". " existing at the end , the sign " : " shall be substituted; and
   (ii) after sub-rule (2), the following proviso shall be added, namely:-
   "Provided that a Watchman may continue to perform the duties upto the age of sixty –five years on submission of medical fitness certificate issued by Government Dispensary/ Hospital alongwith a report on antecedents obtained from the Superintendent of Police concerned on yearly basis.".

Ram Niwas,
Additional Chief Secretary to
Government , Haryana, Home Department

GOVERNMENT OF HARYANA
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 4th July, 2016

No. 13/4/1996-2HG- In exercise of the powers conferred by section 39-A of the Punjab Laws Act, 1872 (Punjab Act IV of 1872), the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Chowkidara (Watchman) Rules, 2013, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Chowkidara (Watchman) Amendment Rules, 2016.

2. In the Haryana Chowkidara (Watchman) Rules, 2013, in rule 4,-
   (i) in sub-rule (2), for the sign, ". " existing at the end , the sign " : " shall be substituted; and
   (ii) after sub-rule (2), the following proviso shall be added, namely:-
   "Provided that a Watchman may continue to perform the duties upto the age of sixty –five years on submission of medical fitness certificate issued by Government Dispensary/ Hospital alongwith a report on antecedents obtained from the Superintendent of Police concerned on yearly basis.".

Ram Niwas,
Additional Chief Secretary to
Government , Haryana, Home Department

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 155–2018/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 13 सितम्बर, 2018
(22 भाद्र, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं।	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं।	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 60/पं०अ० IV/1872/धा० 39क/2018, दिनांक 13 सितम्बर, 2018 – हरियाणा चौकीदार संशोधन नियम, 2018.	667–668
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 61/पं०अ० IV/1872/धा० 39क/2018, दिनांक 13 सितम्बर, 2018 – हरियाणा में गांव के चौकीदारों को भुगतानयोग्य मानदेय भत्तों को प्रथम अप्रैल, 2018 से नियत करने बारे । (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	669–670
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग – I

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 सितम्बर, 2018

संख्या का० आ० 60/पं० अ० IV/1872/धा० 39क/2018.– पंजाब विधि अधिनियम, 1872 (1872 का पंजाब अधिनियम IV) की धारा 39क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा चौकीदार नियम, 2013 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा चौकीदार संशोधन नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा चौकीदार नियम, 2013 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा ; अर्थात् :–

"(ख) वह सरकारी स्कूल या सरकारी मान्यताप्राप्त स्कूल से एक विषय के रूप में हिन्दी/संस्कृत सहित कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। तथापि, नई शैक्षणिक योग्यता अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी ।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 9 में, खण्ड (xiii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात् :–

"(xiv) वह जन्म तथा मृत्यु का रजिस्टर तैयार करेगा तथा उसकी मासिक रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा;

(xv) वह विधि–व्यवस्था भंग होने से उत्तपन्न किसी स्थिति के सम्बन्ध में पुलिस थाना में सूचना देगा;

(xvi) वह विधि–व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की सहायता करेगा;

(xvii) वह बिजली, पानी, पेड़, पशु, कृषि मशीनों तथा औजारों आदि की चोरी के बारे में पुलिस को सूचना देगा;

(xviii) वह सड़क तथा यातायात बाधित होने पर उसे खुलवाने में पुलिस की सहायता करेगा;

(xix) वह खेतों में लगी हुई आग को बुझाने में पुलिस की सहायता करेगा;

(xx) वह पुलिस नियंत्रण कक्ष तथा आपात प्रतिक्रिया वाहनों की सहायता करेगा;

(xxi) विशिष्ट एवं अति–विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के दौरान उपस्थित रहेगा तथा सरकारी कार्यों में पुलिस तथा प्रशासन की सहायता करेगा; तथा

(xxii) उपरोक्त के अतिरिक्त वह, समय–समय पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सौंपे गए कार्य कार्यान्वित करेगा।"।

4. उक्त नियमों में, नियम 12 में, उपनियम (2) में, विद्यमान "लाठी, बैटरी और सीटी" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर "लाठी, बैटरी, सीटी, छाता और साइकिल" शब्द तथा चिह्न, प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

डॉ० श्याम सुन्दर प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 13th September, 2018

No. S.O. 60/P.A. IV/1872/S. 39A/2018.— In exercise of the powers conferred by Section 39-A of the Punjab Laws Act, 1872 (Punjab Act IV of 1872), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Chowkidara (Watchman) Rules, 2013, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Chowkidara (Watchman) Amendment Rules, 2018.

2. In the Haryana Chowkidara (Watchman) Rules, 2013 (hereinafter called the said rules), in rule 3, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

   "he should have passed at least the 10th class with Hindi/Sanskrit as one subject from a Government School or Government Recognized School. However, this new educational qualification would be applicable from the date of notification.''.

3. In the said rules, in rule 9, after clause (xiii), the following clauses shall be added, namely:-

   "(xiv) He shall prepare the register of birth and death and shall send a monthly report to the District Magistrate.

   (xv) He shall inform the police station in case of any situation arising relating to breach law and order.

   (xvi) He shall assist the police for controlling the law and order situation.

   (xvii) He shall inform the police about theft of electricity, water, tree, animal, machines and equipments of agriculture.

   (xviii) He shall assist the police to clear the blockade of road and traffic.

   (xix) He shall assist the police in extinguishing the fire in the fields.

   (xx) He shall assist the police control room and emergency response vehicles.

   (xxi) He shall remain present during the visit of Very Important Persons and Very Very Important Persons and shall assist the Police and District Administration in official works.

   (xxii) Apart from the above, he shall carry out the work assigned to him by the District Magistrate from time to time".

4. In the said rules, in rule 12, in sub-rule (2), for the words and sign "Lathi, battery and whistle", the words and signs "Lathi, battery, whistle, umbrella and by-cycle", shall be substituted.

DR. S. S. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Home Department.

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 सितम्बर, 2018

संख्या. का० आ० 61/पं० अ० IV/1872/धा० 39क/2018.— हरियाणा चौकीदार नियम, 2013 के नियम 12 के उपनियम (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, गृह विभाग द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, गाँव चौकीदार को भुगतानयोगय मानदेय, वर्दी, लाठी, बैटरी, सीटी, छाता तथा साइकिल भत्तों की दरों को दिनांक प्रथम अप्रैल, 2018 से निम्नानुसार नियत करते हैं, अर्थात् :—

क्रम संख्या	विवरण	राशि
1.	मानदेय	7,000/— रुपये (केवल सात हजार रुपये) प्रतिमास ।
2.	वर्दी भत्ता	2,500/— रुपये (केवल दौ हजार पांच सौ रुपये) प्रतिवर्ष ।
3.	लाठी, बैटरी, सीटी तथा छाता भत्ता	1,000/— रुपये (केवल एक हजार रुपये) प्रतिवर्ष ।
4.	सइकिल भत्ता	3,500/— रुपये (केवल तीन हजार पांच सौ रुपये) (एक बार)

डॉ० श्याम सुन्दर प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 13th September, 2018

No. S.O. 61/P.A. IV/1872/S. 39A/2018.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) and (2) of rule 12 of the Haryana Chowkidara (Watchman) Rules, 2013 and in supersession of all other notifications issued in this regard, the Governor of Haryana hereby fixes the rates of honorarium, uniform, lathi, battery, whistle, umbrella and by-cycle allowances payable to Village Watchman with effect from 1st April, 2018 as specified below :–

Sr. No.	**Particulars**	**Amount**
1.	Honorarium	Rs. 7000/- (Seven thousand rupees only) per month
2.	Uniform Allowance	Rs. 2500/- (Two thousands five hundred rupees only) per year
3.	Lathi, Battery, Whistle and Umbrella Allowance	Rs. 1000/- (One thousand rupees only) per year
4.	By-cycle Allowance	Rs. 3500/- (Three thousands five hundred rupees only) (one time)

DR. S. S. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Home Department.

8360—L.R.—H.G.P., Pkl.